संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

06

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22(अग्रिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) के अग्रिम अनुमान में बैकिंग क्षेत्र का योगदान 8,71,619 लाख रूपये अनुमानित।
- राज्य में बैकों की संख्या जून 2022 में 47, शाखाओं की संख्या 3,223 एवं एटीएम की संख्या 3,233 है। जिनमें कुल जमा 2,14,424.87 करोड़ रूपये है।
- प्राथमिक क्षेत्र में आबंटित ऋण में जून 2021 की तुलना में जून 2022 में 23.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- महिलाओं को आबंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 16.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमंत्री जन–धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। 28/12/2022 की स्थिति में राज्य में 47,83,96,632 खाते हैं।
- ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2021–22 के दौरान कुल रु. 1,641.32 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में स्थित चार सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई वर्ष 2021–22 में कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदकर शक्कर का उत्पादन 1,10,451.25 क्विंटल किया गया है।

6.1 वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों के अनुभव यह बताते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्तीय एकीकरण (Financial Integration) की प्रक्रिया के माध्यम में न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपितु पूँजी जुटाने (Capital Mobilization) में भी सहायक होती है जहाँ एक ओर वित्तीय संस्थायें अर्थव्यवस्था में तरलता एवं गतिशीलता को बनाये रखने हेतु वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत व निवेश को प्रोत्साहन तथा संस्थाओं व व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं वहीँ दूसरी तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक रूप से वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुये राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देती हैं।

मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (MSMEs) की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन गतिशीलता को बाजार की माँग के अनुरूप बनाये रखने तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक व वित्तीय संस्थायें बहुत सहायक होती हैं। ठीक इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जहां लघु, एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिये आवश्यक निविष्टियों (Input) जैसे– सिंचाई, बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाओं की खरीदी इत्यादि कृषि – सम्बंधित कार्यों हेतु न्यूनतम–ब्याज दर पर ऋण की अपेक्षा रखते हैं, उनको पूरा करने में भी बैंकों की प्रमुख भूमिका होती है।

6.1.1 राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ कर रहा है, जो तालिका 6.1 में दर्शाया गया है:–

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(P)	2021-22(Q)	2022-23(A)
भागीदारी (लाख)	742683	700347	738135	794641	839512	881146
वृद्धि (प्रतिशत)	7.32	-5.70	5.40	7.66	5.65	4.96
हिस्सा (प्रतिशत)	3.71	3.14	3.14	3.40	3.32	3.23

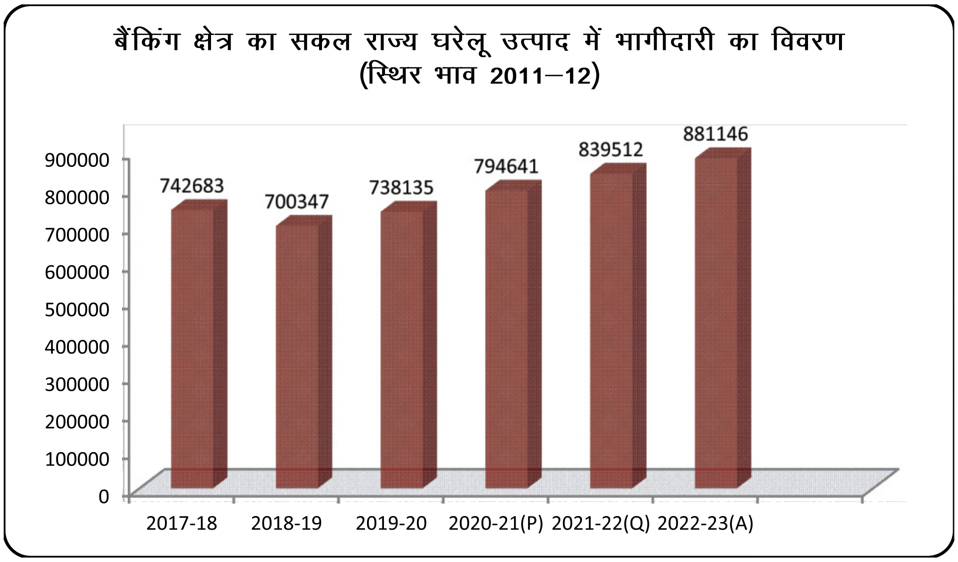

6.1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग गतिविधियों को गति देने में दिशा देने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती हैं, जो कि तालिका क्रमांक 6.2 से स्पष्ट होता है। जून 2022 की स्थिति में 3,223 बैंक शाखाएं हैं।

- जून 2022 की स्थिति में बैंक जमा राशि 2,14,424.87 करोड़ है, जो कि जून 2021 की तुलना में 11.84 प्रतिशत अधिक है।
- जून 2022 की स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम 67251.03 था जो कि जून 2021 की तुलना में 23.81 प्रतिशत अधिक है।
- इस संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 20.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

6.1.3 साख जमा गतिविधियां :–

तालिका 6.2 राज्य में बैंकिंग कार्यो की प्रगति (राशिकरोड़ में)

क्र.	विवरण	जून 2021	जून 2022	प्रतिशत वृद्धि (जून 21–जून22)
1	बैंकों की संख्या	47	47	-
2	शाखाओं की संख्या	3136	3223	-
3	ATM की संख्या	3320	3233	-
4	कुल जमा	191730.28	214424.87	11.84
5	कुल अग्रिम	122846.65	148568.35	20.94
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	64.00	69.29	
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	54317.07	67251.03	23.81
8	कुल अग्रिम में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	44.22	45.27	
9	कृषि में अग्रिम	17855.50	21437.82	20.06
10	कुल अग्रिम में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	14.53	14.43	
11	लद्यु उद्योगों में अग्रिम	26169.40	34123.35	30.39
12	अन्य कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम	11790.69	18488.90	56.81
13	कुल अग्रिम में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	9.60	12.44	
14	महिलाओं को अग्रिम	13694.37	----	

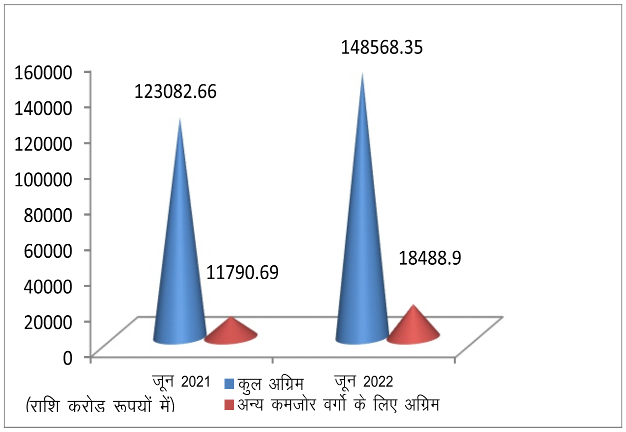

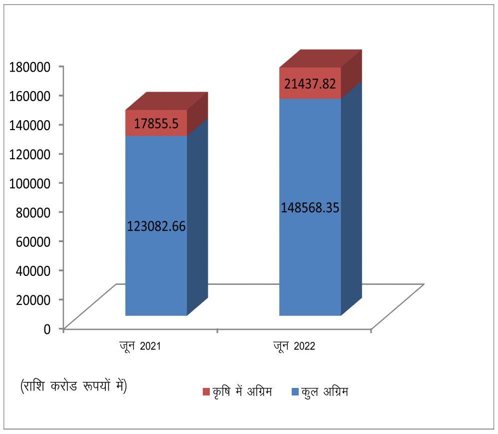

तालिका 6.3 प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों की स्थिति (राशि करोड रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमा राशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.1
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011*	1705	59032	33022	55.94
2011–2012	1912	70742	40135	56.73
2012–2013	2084	87339	49094	56.21
2013–2014	2334	92772	58631	63.2
2014–2015	2454	105023	67691	64.45
2015–2016	2635	107441	73079	68.02
2016–2017	2703	124013	82244	66.32
2017–2018	2753	138843.75	92957.25	66.95
2018–2019	2811	150957.58	99686.99	66.04
2019–2020	3090	167692.72	110208.32	65.72
2020–2021	3148	190581.97	119765.27	62.84
2021–2022	3136	192324.30	123082.66	64.00
2022–2023 जून 2022	3223	**214424.87**	**148568.35**	**69.29**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक प्रकाशन,

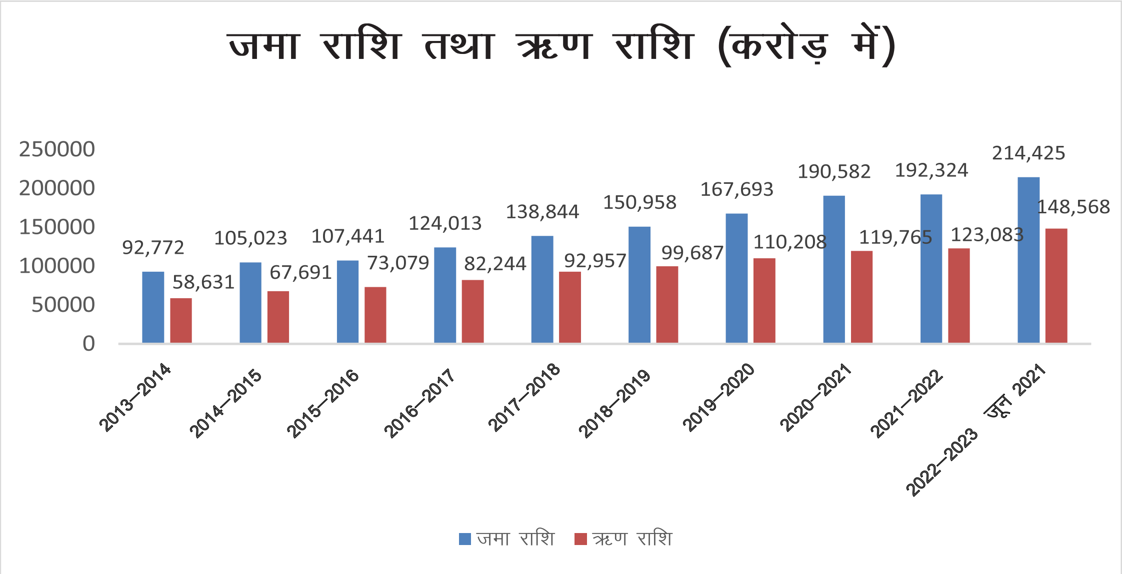

6.2 वित्तीय समावेशन पर अवलोकन और प्रगति

6.2.1 वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विकास के साथ–साथ लेन–देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों के संवेग में वृद्धि तथा विस्तार होती है, साथ ही मध्यम, लघु एवं छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है जिससे रोजगार के नये अवसर का सृजन होता है।

वित्तीय समावेश केन्द्र, अमेरिका (Center for Financial Inclusion) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित करता है।

- वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, और भुगतान इत्यादि का अभियोग।
- गुणवत्तापूर्ण सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा।
- ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचित करते हुये उनके वित्तीय क्षमता का विकास करना।
- सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने हेतु समान अवसर।
- विविध एवं प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला।
- स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा।

अतः विगत दशकों के दौरान वित्तीय समावेशन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जिसका क्रियान्वयन बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों की शाखा विस्तार, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाद– दाता मॉडल, मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, आधार बैंकिंग खाते, ई–KYCs इत्यादि विभिन्न पहलों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय, समावेशन का उद्देश्य देश की बडी आबादी, जो कि अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछडी हुई है, उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वित्तपोषण उपलब्धता हेतु एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है।

6.2.2 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) :– प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1.00 लाख रुपए की रुपे डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा रू. 30000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15–08–2014 से 26–01–2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना कि अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे।

पीएमजेडीवाई (PMJDY) पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (स्वाभिमान) से अलग है, चूॅकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी) तक बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना चाहता है। जबकि पहला वित्तीय समावेश कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल करने पर केन्द्रित था, पीएमजेडीवाई (PMJDY) के अंतर्गत सरलीकृत केवाईसी (KYC) हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक पीएमजेडीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

तालिका 6.4 प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रगति

स्थिति	प्रधानमंत्री जन–धन योजना खाते	सक्रिय खाते	सक्रिय खातों का प्रतिशत	आधार लिंक खाते	आधार लिंक खातों का प्रतिशत
31/03/2015	6776888	2682375	40	1214103	18
31/03/2016	9741764	5637620	58	3019947	31
31/03/2017	12295359	8219486	67	8135008	66
31/03/2018	12994262	10226353	79	9875639	76
29/05/2019	14093072	11687790	83	10971752	78
22/01/2022	443271252				
28/12/2022	478396632				

6.2.3 रूपे कार्ड:– रूपे कार्ड एक नई भुगतान योजना एनपीसीआई द्वारा नियोजित कि गयी है। यह एक घरेलू, स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है, जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रूपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है, जो की भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देश जिनकी स्वयं के घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली है के जैसा है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी KCC और DBT लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है इसके साथ हर नये खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना है। इस प्रकार एक कम लागत विकल्प के रूप में रूपे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। रूपे कार्ड एटीएम बिक्री टर्मिनलों के केंद्र और ऑनलाइन खरीद पर काम करता है, और न केवल दुनिया में किसी भी अन्य कार्ड योजना के बराबर है, बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान विकल्प में लचीलापन प्रदान करता है। विवरण तालिका क्र. 6.5 में दर्शित है।

तालिका 6.5 रूपे कार्ड विवरण (05.01.2022)

प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते संख्या	रूपे कार्ड जारी खाते
47.83 crore	32.52 crore

6.2.4 मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना :– छोटे गैर कॉर्पोरेट (NCSBS) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमो को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। वे काफी हद तक स्ववित्त पोषित हैं अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर हैं। इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई हैं। यह न केवल इन उद्यमियों के जीवनस्तर में सुधार लायेगा वरन नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम दुकानदारों को ऋण की सुविधा तीन चरणों में दी गई है :–

- **शिशु ऋण योजनारू** कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।
- **किशोर ऋण योजना**: इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक की जा सकती है।
- **तरुण ऋण योजना** : इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता हैं।

तालिका 6.6 मुद्रा योजना प्रगति 31.08.2022 (राशि करोड़ में)

वर्ष	शिशु		किशोर		तरूण		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2022–23 लक्ष्य	419223	2668.04	119778	762.30	59890	381.16	598891	3811.50
2022–23 प्राप्तियॉ	114696	296.18	36537	521.02	6269	476.75	157502	1293.95

6.2.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और एलपीजी (DBTL) के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:

DBT योजना का उद्देश्य, विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत पैसे सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। बैंक डीबीटी/डीबीटीएल के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस कार्य के चार महत्वपूर्ण चरण है

(1) सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का खुलना।

(2) आधार नंबर और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करने के साथ बैंक खातों की सीडिंग।

(3) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग कर धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान ब्रिज सिस्टम (NACH-APBS)।

(4) पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

6.3 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं :—सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया गया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अत्यंत प्रगति हुई है विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका 6.7 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं			
क्र.	योजना का नाम	30–06–2021	30–06–2022
		संख्या	संख्या
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	2110294	3170363
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	7210295	8736070
3	अटल पेंशन योजना	455602	701250

6.3.1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना :– यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रू है, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रूपये की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक–वर्ष की नवीकरणीय योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है जिसमें 12 रू के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपए की राशि प्राप्त होती है. बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर एक लाख रू प्राप्त होगा।

6.3.2 सुकन्या समृद्धि खाता :– यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। इस योजना में निवेश करने पर 9.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु यह दर बढ़कर 9.2 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जाएगी।

6.3.3 अटल पेंशन योजना :–यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए रू. 1000 से रू. 5000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है, किन्तु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नही हैं। यह योजना समाज के लोगों जैसे– सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालों के लिए लागू की गई है।

6.3.4 पेंशन योजना :– यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण (PFRDA) द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस योजना का धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रू तक जैसा U/S 80C में प्रावधानित है, का कर लाभ प्राप्त होता है।

6.4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.4.1 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) :—इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2021—22 के दौरान कुल रु. 1641.32 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए रु. 193.36 करोड़, सिंचाई परियोजना के लिए रु. 63.36 करोड़, 20,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पम्पसेटों के लिए रु. 477.22 करोड़ ग्रामीण गोदाम कार्यालय के लिए रु. 144.15 करोड़ एवं COVID-19 प्रबंधन और नियंत्रण के लिए मेडिकल कॉलेजो में ऑक्सिजन आपूर्ति हेत रू. 13.43 करोड़ स्वीकृत किए गए।

वर्ष 2021—22 के दौरान चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रु. 921.98 करोड़ की राशि वितरित की गयी। वर्ष 2022—23 के दौरान, आरआईडीएफ़ के अंतर्गत अब तक रु. 409.56 करोड़ की राशि वितरित की गयी।

छत्तीसगढ़ राज्य में आरआईडीएफ़ के अंतर्गत अब तक संचयी रूप से 31 मार्च 2022 तक रू. 13,014 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई एवं इसी मद में संचयी रूप से रू. 9,042 करोड़ की राशि वितरित की गई।

6.4.2 पुनर्वित्त सहायता :— वर्ष 2021—22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक) की समाप्ति तक नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों,सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि उत्पादन ऋण हेतु रु. 4125 करोड़ एवं निवेश ऋण हेतु रू. 988 की सहायता दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2022—23 (अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर 2022 तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंकों, एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कृषि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण हेतु क्रमशः रु. 3550 करोड़ और रु. 510 करोड़ की सहायता दी गई।

6.4.3 मार्कफेड को सहायता :—नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड को रु. 5500 करोड़ का ऋण दिया गया। खरीफ विपणन मौसम 2022—23 हेतु धान की अधिप्राप्ति के लिए रु. 6000 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

6.4.4 नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता (एनआईडीए) :—नाबार्ड द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाः 2018—19 के अंतर्गत 3 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को रू. 792.44 करोड़ ऋण वितरण किया गया।

6.4.5 खाद्य प्रसंस्करण निधि :– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एम ओ एफ पी आई भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नामित खाद्य पार्क और उसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए किफायती ऋण प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत वर्ष 2000 करोड़ स्थापित की गई। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में आगे बढ़ने के लिए 2015–16 में भारत सरकार द्वारा नामित खाद्य पार्क मेंसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क तिल्दा जिला रायपुर को रू. 40.34 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है जिसके समक्ष अब तक रू. 40.34 करोड़ की राशि वितरण की गई है। इस मेगा फूडपार्क का 03 जून 2021 को उद्घाटन किया जा चुका है।

6.4.6 सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता :– यह एक अल्पकालिक बहुउद्देशीय ऋण उत्पादक है जो डी सी सी बी और एस टी सी बी को सीधे निर्दिष्ट गतिविधियों के तहत उनके उधार व्यवसाय का विस्तार करने के लिए वित्त पोषण करता है। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान रायपुर जिला सहकारी बैंक को रु. 500 करोड़ का प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता वितरित की गई थी।

6.4.7 दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एलटीआईएफ):– एलटीआईएफ के तहत छत्तीसगढ़ में तीन परियोजनाओं (मनियारि, केलो और खारुन) की पहचान की गई है। 31 मार्च 2021 के अंत तक, नाबार्ड ने रु. 165.73 करोड़ केंद्रीय सहायता राशि एवं रु. 80.07 करोड़ स्टेट शेयर राशि स्वीकृत की है, जिसमें से केंद्रीय सहायता राशि के रूप में रु. 62.79 करोड़ वितरित किए गए हैं।

6.5 विशेष विकासात्मक पहल

6.5.1 स्वयं सहायता समूह– बैंक लिंकेज कार्यक्रम

नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021–22 के अंत तक 299366 समूहों का गठन किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान 38633 स्वयं सहायता समूह को ऋण से सहबद्ध किया गया है। वर्ष 2021–22 के अंत तक 8675 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और 3273 बैंक लिंकेज हेतु 58 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान (एस.एस.पी.आई) स्वीकृत की और उन्हें कुल रुपए 866.54 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई. वर्ष 2021–22 के दौरान स्वयं सहायता समूह के संवर्धन और स्वयं सहायता समूहों के संस्थानों के क्षमता निर्माण हेतु रू. 19.85 लाख की राशि वितरित की गई.

6.5.2 संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)

नाबार्ड ने काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूहों के संवर्धन और वित्त–पोषण के लिए यह योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 3.92 लाख संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) गठित किए गए हैं, और उन्हें रुपए 4,37,629 लाख का ऋण वितरित किया गया है, इसके अंतर्गत नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ में 14675 संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) के संवर्धन और ऋण सहबद्धता के लिए 333.50 लाख की अनुदान सहायता राशि क्रियान्वयन संस्थानों को स्वीकृत की गयी ।

6.5.3 स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए "ई–शक्ति"

नाबार्ड ने 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए ई–शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के अभिलेखों की पारदर्शिता, समय पर अद्यतनीकरण और समुचित रख–रखाव किया जाएगा, जिससे समूह का समुचित पोषण और सुदृढ़ीकरण होगा, अनियमितताएँ दूर होंगी और समूह के सदस्यों को और खाता–बहियों का उचित रख–रखाव करने में सहायता होगी। स्वयं सहायता समूहों को ऋण की स्थिति को अपग्रेड करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने में डिजिटाइजेशन से सहायता मिलेगी और समूह को अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण की मात्रा में वृद्धि कर पाएंगे। साथ ही समूहों के वर्गीकरण से बैंकों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। राज्य के 8 जिलों :– राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़, महासमुंद, कांकेर और दंतेवाड़ा में यह कार्यक्रम चलाया गया था। इससे बैंकों को स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में आसानी होती है। इस क्रम में वित्तीय समावेशन व भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लाया जा रहा है। इन जिलों में 43867 सहायता समूह को डिजिटाइज किया जा चुका है।

6.5.4 आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास :–नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में कई सफल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी परिवारों को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में कुल 88 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें मार्च 2022 तक रू. 230.24 करोड़ अनुदान तथा इसके अंतर्गत राज्य के 57,563 आदिवासी परिवारों को समन्वित किया गया है।

6.5.5 वॉटरशेड विकास :– ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड की इस वॉटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में संचयी रूप में 67 वॉटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृत कुल राशि रु. 66.34 करोड़ है, तथा इसके अंतर्गत 59,768 हेक्ट. भूमि का उपचार किया गया है और 26,640 परिवारों को शामिल किया गया है। वर्ष 2022–23 में 27 दिसंबर 2022 तक रू. 1.54 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

6.5.6 जलवायु परिवर्तन :–राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना 'छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि के तीन जिलों – धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार में जलवायु अनुकूलन हेतु एकीकृत कार्यनीति को बढ़ावा देने सहित जलवायु अनुकूलन हेतु परियोजना क्षेत्र के निवासियों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को यथासंभव पुनर्बहाल करने हेतु उपाय अपनाना है। इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय रु. 21.47 करोड़ है, जिसमें से रु. 13.33 करोड़ की राशि स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज (वन विभाग) को जारी की गई है।

6.5.7 कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन :–नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 700 कृषक क्लब कार्यरत्त हैं। इसके साथ ही नाबार्ड में स्थापित 'प्रोड्यूस' निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत् 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 14 विभिन्न जिलों में 25 कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु स्वीकृति दी गई है एवं उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है

6.5.8 विपणन क्षमता उपक्रम:–रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 और छत्तीगसढ़ राज्य उत्सव 2022 मेले में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण शिल्पकारों, कृषक उत्पादक संगठनों, गैर कृषक उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की विपणन के लिए 15 और 05 स्टॉल्स क्रमशः प्रायोजित किया गया था। इसी तरह उनकी विपणन क्षमता वृद्धि के लिए ग्रामीण हाट और ग्रामीण मार्ट की प्रत्येक 01 और 01 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया।

सहकारिता

सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का ऐसा प्रारूप है, जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है, प्रदेश के किसानों कारिगरों, बुनकरों मछुआरों दुग्ध उत्पादको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सहकारी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का है, ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति हो सके।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाए है, जो इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य, डेयरी बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाइयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा भवन निर्माण (आवास गृह) का भी अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

6.6 अल्पकालीन साख संरचना :–सहकारी बैंको द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश में अल्पकालीन साख संरचना का त्रिस्तरीय ढाँचा कार्यरत है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 6.8 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)			
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	कार्यक्षेत्र	शाखाएँ	कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या
रायपुर	धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायपुर, सारंगगढ़–बिलाईगढ़	71	550
दुर्ग	बालोद, बेमेतरा, दुर्ग	65	311
बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली, गौ. पे.म. जांजगीर–चांपा, कोरबा, सक्ती	56	430
अंबिकापुर	अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर	30	153
जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा	47	258
राजनांदगांव	राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, खैरागढ़, गण्डई	43	222
रायगढ़ के परिसमापन के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की शाखा	रायगढ़, सारंगढ़–बिलाईगढ़, जशपुर	14	134
	योग	**326**	**2058**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायगढ़ के परिसमापन में होने के कारण एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से 134 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ कार्यरत् हैं।

6.6.1 अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण :– राज्य शासन द्वारा कृषकों के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज दर में लगातार कमी की गई है। वर्षवार कृषकों को दिये गये कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर निम्नानुसार है–

क.	वर्ष	प्रभावशाली ब्याज दर
1.	2004–05 से 2005–06 तक	9 %
2.	2006–07	7 %
3.	2007–08	6 %
4.	2008–09 से 2011–12 तक	3 %
5.	2012–13 से 2013–14 तक	1%
6.	2014–15 से 2021–22 तक	0 %

(क) ऋण व्यवसाय–प्रदेश में 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ संचालित हैं, इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे सम्बद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो निम्नानुसार है –

प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ संचालित है। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे सम्बद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है जो निम्नानुसार है –

1. **अल्पकालीन कृषि ऋण**– कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिये जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा।
2. **गौ पालन हेतु ऋण**– परंपरागत गौ पालन कृषको को रुपये 2.00 लाख तक का ऋण 01 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा रूपये 2.00 लाख से अधिक एवं रुपये 3.00 लाख तक के ऋण 03 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा।
3. **मत्स्य पालन हेतु ऋण**– मत्स्य पालक, मत्स्य पालक समूह एवं प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को रूपये 03.00 लाख तक दिये जाने वाला ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण के समान ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा।
4. **उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण**–उद्यानिकी कृषको हेतु दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण रूपये 03.00 लाख तक सीमा तक ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा।
5. **लाख पालन हेतु ऋण**–लाख उत्पादन हेतु अपल्कालीन कृषि ऋण की ब्याज दर वर्तमान में दिये जा रहे अल्पकालीन कृषि ऋण के समान 0% होगी।

(ख) कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण–कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 01.04.2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

तलिका 6.9 कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण

वर्ष	ऋण वितरण का लक्ष्य (करोड़ में)	ऋण वितरण राशि (करोड़ में)	कृषक संख्या (लाख में)	पूर्ति का प्रतिशत
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021)	5300	4747.77	12.99	89.58
वर्ष 2021–22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022)	5900	5457.88	12.99	92.51
वर्ष 2022–23 (अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022)	5800	5563.59	14.04	95.92

6.6.2 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ

(क) धान उपार्जन—राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत् कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियों के 2311 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केन्द्र कम्प्यूटराईज है।

तलिका 6.10 समर्थन मूल्य में धान उपार्जन	(मात्रा टन में/राशि लाख रुपये में)	
वर्ष	धान की उपार्जित मात्रा	व्यय राशि
1	2	3
वर्ष 2021—22 (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021)	निरंक	निरंक
वर्ष 2021—22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022)	9798580.76	1903685.25
वर्ष 2022—23 (अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022)	निरंक	निरंक

(ख) रासायनिक उर्वरक का वितरण :— वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

तालिका क. 6.11 रसायनिक उर्वरक(मात्रा टन में/राषि लाख रू. में)			
वर्ष	वितरण लक्ष्य	वितरण	राशि
वर्ष 2021—22 (अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021)	725000	649028	83578.27
वर्ष 2021—22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022)	956000	834081	100027.86
वर्ष 2022—23 (अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022)	855000	653565	88884.92

6.6.3 प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने

(क) कारखानों के निर्माण वर्ष एवं पेराई क्षमता की जानकारी :—

तालिका क. 6.12 स्थापित सहकारी शक्कर कारखानें			
क्र.	**शक्कर कारखाने का नाम**	**उत्पादन प्रारंभ वर्ष**	**पेराई क्षमता (टी.सी.डी.)**
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम राम्हेपुर, कवर्धा	2002—03	3500
2	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर, ग्राम केरता, जिला सूरजपुर	2009—10	2500
3	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम करकाभाट, जिला—बालोद	2009—10	1250
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया जिला कबीरधाम	2016—17	2500

(ख) **किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन** :—किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन— प्रदेश में स्थित 04 सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई सत्र 2021—22 में कृषको से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीद कर शक्कर का उत्पादन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका क. 6.13 किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन

कारखाने का नाम	पेराई लक्ष्य	गन्ना पेराई	शक्कर उत्पादन (किवं.)	रिकव्हरी प्रतिशत	पेराई अवधि
भोरमदेव, कवर्धा	450000.00	345003.080	40757.200	11.83	27.11.2021 से 16.04.2022 तक
दंतेश्वरी मैय्या, बालोद	350000.00	283596.00	27325.00	9.70	29.11.2021 से 10.04.2022 तक
मां महामाया, सूरजपुर	50000.00	35060.530	3665.150	10.60	17.12.2021 से 26.02.2022
वल्लभ भाई पटेल, पंडरिया	3.50 लाख मे.टन	295338.552	38703.900	13.12	19.11.2021 से 13.04.2022 तक

6.7 सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य :—

1. इथेनॉल प्लांट की स्थापना—

(क) भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा में 80 KLPD क्षमता के इथेनॉल प्लांट PPP (Public Private Partnership) मोड़ पर स्थापित करने हेतु कारखाना एवं छत्तीसगढ़ डिस्लरी (NKJ बायोफ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड) के मध्य MOU के निष्पादित किया जा चुका है। वर्तमान में प्लांट स्थापना कार्य प्रगति पर है।

(ख) मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में सह उत्पाद मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए प्रस्तावित 20 KLPD ईथेनाल प्लॉट हेतु V.S.I. Pune से डी.पी.आर. तैयार करा लिया गया है।

2. लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में 14 मेगावॉट का को–जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया गया है, उत्पादित विद्युत से पेराई सीजन में कारखाना संचालन एवं अतिरिक्त विद्युत उत्पादन छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को एक्सपोर्ट किया जाता है।

3. माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में 06 मेगावॉट पावर टरबाईन स्थापित है जिसमें से 3.5 से 4 मेगावॉट का पेराई सीजन/संचालन के दौरान विद्युत का उपयोग किया जाता है। शेष 2 से 2.5 मेगावॉट विद्युत विक्रय हेतु आवश्यक एक्जिट इन्फ्रास्ट्रक्टर के अंतर्गत स्वीचयार्ड सिन्क्राकनाईजेशन पैनल का निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।